न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 211 / 2019

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0
पंजीकृत कार्यालयः–19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर
शाखा कार्यालयः– आदर्श नगर, अजमेर
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

(1). श्री गोपाल गुर्जर पुत्र श्री देव गुर्जर,
निवासीः– 148, ग्राम देवमगरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर व पट्टा नम्बर 18 संकल्प नम्बर 5, 2 ग्राम मायला पंचायत समिति मसूदा, जिला अजमेर।
(2). श्रीमती अमरी पत्नि गोपाल गुर्जर,
निवासीः– 112, ग्राम देवमगरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।
(3). श्री शिवराज गुर्जर पुत्र श्री हरलाल गुर्जर,
निवासीः– ग्राम देवमगरी तहसील मसूदा जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण (ऋणी / जमानती)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री प्रवीण सिंह राजावत अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 02.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 08.10.2014 को रू 7,50,000 / – (अक्षरे सात लाख पचास हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम मायला पंचायत समिति मसूदा जिला अजमेर स्थित पट्टा नम्बर 18 संकल्प नम्बर 5, 2 की आवासीय सम्पति, क्षैत्रफल 2400 वर्ग फुट है, जिसके पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय मसूदा में दिनांक 05.02.2013 को पुस्तक संख्या 1 की जिल्द संख्या 80 क्रम संख्या 115 पृष्ठ संख्या 173 से निल पर पंजीबद्व किया गया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 03 पेज क्रमांक 115 पृष्ठ संख्या 43 पर दिनांक 05.02.2013 को चस्पा किया गया है जिसकी चतुर्थ सीमाएं – पूर्व –श्री सोहन का मकान, पश्चिम –आम रास्ता, उत्तर– आम रास्ता, दक्षिण– श्री छोटू का बाडा, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 30.04.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 20.05.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–5,80,090 / –(अक्षरे पांच लाख अस्सी हजार नब्बे रूपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति ग्राम मायला पंचायत समिति मसूदा जिला अजमेर स्थित पट्टा नम्बर 18 संकल्प नम्बर 5, 2 की आवासीय सम्पति, क्षैत्रफल 2400 वर्ग फुट है, जिसके पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय मसूदा में दिनांक 05.02.2013 को पुस्तक संख्या 1 की जिल्द संख्या 80 कम संख्या 115 पृष्ठ संख्या 173 से निल पर पंजीबद्व किया गया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 03 पेज कमांक 115 पृष्ठ संख्या 43 पर दिनांक 05.02.2013 को चस्पा किया गया है जिसकी चतुर्थ सीमाएं – पूर्व –श्री सोहन का मकान, पश्चिम –आम रास्ता, उत्तर– आम रास्ता, दक्षिण– श्री छोटू का बाडा, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 02.12.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner